

**(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 4)
GOVERNMENT OF INDIA**

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21 May, 2012

NOTIFICATION

S.R.O. 45 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organization (Boat Crew) (Group 'C' and Group 'D' posts), Recruitment Rules 2004 in so far as they relate to the posts of Lascar Ist Class and the Coast Guard Technical and Industrial Staff (Group 'C' and Group 'D') Recruitment Rules, 1997 in so far as they relate to the post of Lascar and Semi-skilled or Unskilled Tradesman or Labourer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lascar and Semi-Skilled/Unskilled Tradesman/Labourer in the Coast Guard Organization under the Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Coast Guard Organization Lascar and Semi-skilled or Unskilled Tradesman or Labourer (Group 'C') Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application . - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Pay Band and grade pay. - The number of the said posts, their classification and Pay Band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, and qualification, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.



5. Disqualification .- No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said Posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of the Post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lascar	80*(2012) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay-Rs.1800.	Not applicable.

1/5/14

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>18 to 30 Years. (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time).</p> <p>Note 1:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2 : In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment</p>	<p>(i) Matriculation pass or its equivalent from recognized boards.</p> <p>(ii) Three years experience in service on Boat.</p>	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

15/11/22

exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Director (Personnel) Coast Guard Headquarters - Chairman 2. Deputy Director (Material) - Member 3. Two Officers of the rank of Civilian Staff Officers - Members.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Semi-skilled or Unskilled Tradesman or Labourer.	28 *(2012) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay-Rs.1800.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 to 27 Years. (Relaxable for Government Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time).	(i) Matriculation pass or its equivalent from recognized boards or ITI from recognized institutes. (ii) Three years experience in the trade.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

Amu


Note1:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2 : In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Am

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Director (Personnel) Coast Guard Headquarters - Chairman 2. Deputy Director (Material) - Member 3. Two Officers of the rank of Civilian Staff Officers - Members.	Not applicable.

[File No : CP/0601/Multi-Tasking Staff(Technical)]


(T.C. Sharma)
Under Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 4 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख. 21 मई 2012

अधिसूचना

का.नि.आ...15....राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन (नौका कर्मीदल)(समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 जहां तक उनका संबंध लश्कर प्रथम श्रेणी के (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 1997 को जहां तक उनका संबंध लश्कर और अर्धकुशल या अकुशल ट्रेड्समैन या श्रमिक के पदों से है उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में लश्कर और अर्धकुशल/अकुशल ट्रेड्समैन/श्रमिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) तटरक्षक संगठन लश्कर और अर्धकुशल या अकुशल ट्रेड्समैन या श्रमिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना :** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लश्कर	80* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200- 20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष (सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत

				<p>की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या इसके समतुल्य (ii) नौका पर सेवा करने का तीन वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक(कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(सामग्री) - सदस्य 3. सिविलियन स्टाफ अफसरों की पंक्ति के दो अफसर - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अर्धकुशल या अकुशल ट्रेड्समैन या श्रमिक	28* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	<p>18 से 27 वर्ष</p> <p>(सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख स्वंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपस्वंड,</p>


					<p>अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)	(9)
<p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या इसके समतुल्य या मान्यताप्राप्त संस्थानों से आई. टी. आई. ।</p> <p>(ii) ट्रेड में तीन वर्षीय अनुभव</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक(कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(सामग्री) - सदस्य 3. सिविलियन स्टाफ अफसरों की पंक्ति के दो अफसर - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता</p>

[फाइल सं. सी पी/0601/मल्टी टास्किंग स्टाफ(तकनीकी)]


 (टी सी शर्मा)
 अवर सचिव, भारत सरकार